16/10/22 — 121719

खेताराम बनाम कसूंबी
113/2022 (2022/309)
निर्णय दिनांक:—08.03.2024

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:— 113/2022 (2022/309)

दर्ज तिथि:— 16.09.2022

1. खेताराम पुत्र मुकनाराम
जाति जाट निवासी बोर चारणान तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

.....................वादी

बनाम

1. कसूंबी पुत्री चुतराराम
हाल निवासी हीरोणियों का तला (शोभाला जैतमाल) तहसील धोरीमना
2. खेमी पुत्री तगी
3. पालू पुत्री चुतराराम
4. भेराराम पुत्र तगी (नाबालिंग का वली मेहराराम पुत्र लुम्भाराम)
जाति जाट निवासी गादेश्वरी
5. मूली पुत्री चुतराराम हाल निवासी पूंजाबेरी
6. हीराराम पुत्र तगी (नाबालिंग का वली मेहराराम पुत्र लुम्भाराम)
जाति जाट निवासी गादेश्वरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
(प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 व 5 वयस्क)

................असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार गुडामालानी

..............................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित:—
वादी अधिवक्ता:— श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगण :— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:निर्णय:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar
Meena
Date: 2024.10.09 16:29:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तिथि:— 08.03.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा नंबर 269, 269/3 रकबा क्रमशः 2.0072, 2.2420 हैक्टेयर वाके गादेश्वरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त

वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का 3/35 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जाः- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलनः- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षतिः- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अतः एकल खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:51 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास

नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 269, 269/3 रकबा कमशः 2.0072, 2.2420 हैक्टेयर वाके गादेश्वरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
खेताराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट सा. बोर चारणान खातेदार	पूर्ण	269	0.3642 हैक्टेयर	बा.सो.
किता 01 रकबा 0.3642 हैक्टेयर				
खेमी पुत्री तगी भैराराम हीराराम पि0 तगी पालू पुत्री चुतराराम जाति जाट सा. देह कलूदेवी पत्नी मोहनलाल लीलादेवी पत्नी धर्माराम जाति ब्राहमण सा. रोली खातेदार	खाता संख्या 34 (पुराना 13) में दर्ज अनुसार	269 122/2	1.6430 हैक्टेयर 2.2420 हैक्टेयर	बा.सो.
किता 02 रकबा 3.8850 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे। ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 08.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:51 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:— 113/2022 (2022/309)

दर्ज तिथि:— 16.09.2022

1. खेताराम पुत्र मुकनाराम
जाति जाट निवासी बोर चारणान तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

.....................वादीगण

बनाम

1. कसूंबी पुत्री चुतराराम
हाल निवासी हीरोणियों का तला (शोभाला जैतमाल) तहसील धोरीमना
2. खेमी पुत्री तगी
3. पालू पुत्री चुतराराम
4. भेराराम पुत्र तगी (नाबालिंग का वली मेहराराम पुत्र लुम्बाराम)
जाति जाट निवासी गादेश्वरी
5. मूली पुत्री चुतराराम हाल निवासी पूंजाबेरी
6. हीराराम पुत्र तगी (नाबालिंग का वली मेहराराम पुत्र लुम्भाराम)
जाति जाट निवासी गादेश्वरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
(प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 व 5 वयस्क)

................असल प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार गुडामालानी

...........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित:—
वादी अधिवक्ता:— श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगण :— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

Signature Not Verified

—:पर्चा डि[illegible]:—

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:28:51 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]णय तिथि:— 08.03.2024

दावा वादी अन्तर्गत धारा [illegible] 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम अराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 269, 269/3 रकबा क्रमशः 2.0072, 2.2420 हैक्टेयर वाके गादेश्वरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता

प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
खेताराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट सा. बोर चारणान खातेदार	पूर्ण	269	0.3642 हैक्टेयर	बा.सो.
किता 01 रकबा 0.3642 हैक्टेयर				
खेमी पुत्री तगी भैराराम हीराराम पि0 तगी पालू पुत्री चुतराराम जाति जाट सा. देह कलूदेवी पत्नी मोहनलाल लीलादेवी पत्नी धर्माराम जाति ब्राहमण सा. रोली खातेदार	खाता संख्या 34 (पुराना 13) में दर्ज अनुसार	269 122/2	1.6430 हैक्टेयर 2.2420 हैक्टेयर	बा.सो.
किता 02 रकबा 3.8850 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे। ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्त मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 08.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:51 IST
Reason: SelfAttested